भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 918

उत्तर देने की तारीख : 23.07.2026

एमएसएमई को संपार्श्विक मुक्त ऋण

918. श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कोष न्यास (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से कार्यान्वित क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2022 से अब तक तमिलनाडु में इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी प्राप्त करने वाले एमएसई की संख्या कितनी है, और स्वीकृत की गई राशि का जिला-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और पिछड़े जिलों की इकाइयों को इस योजना का पर्याप्त लाभ मिल सका है और यदि हां, तो सरकार का तत्संबंधी आकलन क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु में एमएसएमई से संपार्श्विक मुक्त ऋण देने में देरी, उच्च प्रसंस्करण शुल्क या बैंकों की अनिच्छा के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु में एमएसएमई के बीच ऋण प्रवाह में सुधार करने और सीजीटीएमएसई योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय एमएसई, जिसमें पहली पीढ़ी के उद्यमी, महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयां शामिल हैं, को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के लिए क्रेडिट गारंटियां प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), के लिए किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्यूरिटी अथवा तृतीय पक्षकार गारंटियों के बिना तमिलनाडु सहित देशभर में क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है।

इस स्कीम की वर्ष 2000 में हुई शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2026 तक पहले पीढ़ी के उद्यमियों, महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयों सहित तमिलनाडु में एमएसई को 1.08 लाख करोड़ रुपए की कुल 10.84 लाख क्रेडिट गारंटियां प्रदान की गई हैं।

तमिलनाडु में सीजीएस के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक एमएसई को दी गई गारंटियों का जिला-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I तथा अनुबंध-II पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) : एमएसई के बीच ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा सीजीटीएमएसई स्कीम के बारे में जागरुकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

i. सीजीएस के अंतर्गत दिए गए ऋण के लिए गारंटी की उच्चतम सीमा को दिनांक 01.04.2025 से 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

ii. मानक दर में 50 प्रतिशत की कटौती के साथ उसे प्रतिवर्ष 0.37 प्रतिशत तक के न्यूनतम स्तर पर रखते हुए वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) संरचना में संशोधन किया गया।

iii. महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई सहित विशेष श्रेणी के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए गारंटी की सीमा में वृद्धि की गई।

iv. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 09.02.2026 के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को ऋण प्रदान करने संबंधी मास्टर निदेश के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले 20 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्यूरिटी स्वीकार न करें।

v. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ऋण की कमी वाले चिन्हित जिलों (आईसीडीडी) में एमएसई तक ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए सीजीटीएमएसई में एजीएफ पर 10 प्रतिशत छूट की पेशकश की गई है।

vi. तमिलनाडु राज्य में स्थित विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न एमएसई को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटी कवरेज को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग से "तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी स्कीम" (टीएनसीजीएस) नामक एक विशेष गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

vii. सीजीटीएमएसई स्कीम के अंतर्गत बैंकों के कार्यानिष्पादन तथा एमएसएमई क्षेत्र तक ऋण के समग्र प्रवाह की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

viii. एमएसएमई मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे सीजीटीएमएसई, सिडबी, एसएलबीसी, बैंकों, एमएसएमई संघों आदि के साथ समन्वय स्थापित करके नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि इस स्कीम के बारे में जागरुकता पैदा की जा सके।

अनुबंध-I

"एमएसई को कोलेटरल मुक्त ऋण" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 918, जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीटीएमएसई-तमिलनाडु- अनुमोदित गारंटियां											
		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26	
क्र.सं.	जिला	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
1	अरियालूर	366	9	979	112	709	99	540	53	779	87
2	चेंगलपट्टू	0	0	0	0	0	0	490	100	1,049	166
3	चेन्नई	7,132	1,269	10,051	2,083	20,559	4,396	34,063	7,661	25,711	9,617
4	कोयंबटूर	4,063	547	5,047	819	9,836	1,515	16,286	2,200	14,365	3,428
5	कुड्डालोर	1,236	60	1,353	95	2,773	228	4,626	306	4,302	448
6	धर्मपुरी	578	29	1,446	104	2,102	216	2,511	226	2,153	295
7	डिंडीगुल	860	59	1,035	93	1,900	218	2,698	261	2,966	440
8	इरोड	1,423	136	2,041	244	3,331	442	6,253	626	5,173	977
9	कल्लाकुरिची	0	0	0	0	0	0	0	0	403	25
10	कांचीपुरम	2,369	222	3,382	378	7,408	889	14,366	1,351	10,500	2,054
11	कन्याकुमारी	1,581	46	2,134	96	3,178	197	4,328	226	3,191	324
12	करूर	600	49	770	88	1,424	177	2,273	221	2,192	316
13	कृष्णागिरी	1,136	105	1,689	221	2,987	392	4,302	500	4,121	759
14	मदुरै	1,586	125	3,215	267	4,198	564	5,599	687	6,246	996
15	माइलादुत्रयी	0	0	0	0	0	0	0	0	221	23
16	नागपट्टनम	756	28	1,257	54	2,253	118	2,646	136	2,496	186
17	नमक्कल	1,219	109	1,427	166	2,451	327	3,983	406	3,537	539
18	पेरम्बलूर	182	15	302	33	476	74	573	66	949	119
19	पुदुक्कोट्टई	532	26	784	50	1,683	139	2,136	156	2,487	243
20	रामनाथपुरम	638	27	611	43	1,543	92	1,485	99	2,044	125
21	रानीपेट	0	0	0	0	0	0	0	0	214	31
22	सलेम	2,259	175	3,095	336	5,188	681	8,357	752	6,310	1,055
23	शिवगंगा	753	35	1,074	60	1,538	135	1,934	166	2,446	242
24	तेनकासी	0	0	0	0	0	0	0	0	351	30
25	तंजावुर	1,322	49	1,750	98	2,782	311	5,393	301	3,994	449
26	नीलगिरी	397	13	349	21	612	49	818	93	925	123
27	थेनी	584	32	625	48	1,217	123	1,759	137	1,651	240
28	तिरुवल्लुर	1,776	200	2,292	312	6,301	708	15,658	1,280	8,190	1,816
29	थिरुवरुर	549	19	376	25	940	58	1,817	94	1,176	124
30	तुथुकुड़ी	673	46	1,377	82	2,645	200	3,102	275	3,144	391
31	तिरुचिरापल्ली	1,515	98	1,709	178	3,532	433	5,902	537	5,017	772
32	तिरुनेलवेली	1,797	87	2,519	152	4,252	329	5,654	378	6,132	619
33	तिरुपथुर	0	0	0	0	0	0	0	0	181	22
34	तिरुपूर	1,405	240	2,032	360	3,927	802	3,355	703	3,624	1,098
35	तिरुवन्नामलाई	1,392	53	1,879	105	2,966	269	3,958	316	3,924	437
36	वेल्लोर	1,940	110	2,447	162	3,550	342	5,257	494	4,906	616
37	विलुप्पुरम	1,209	50	1,248	97	2,927	244	4,412	306	3,062	354
38	विरुधुनगर	1,069	66	1,588	133	2,627	294	3,283	333	3,672	484
कुल		**44,897**	**4,134**	**61,883**	**7,114**	**1,13,815**	**15,061**	**1,79,817**	**21,447**	**1,53,804**	**30,072**

अनुबंध-II

"एमएसई को कोलेटरल मुक्त ऋण" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 918, जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीटीएमएसई-अनुमोदित गारंटियां-तमिलनाडु-क्षेत्रवार				
	सूक्ष्म		लघु	
	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
वित्त वर्ष 2021-22	31,796	1,770	13,101	2,364
वित्त वर्ष 2022-23	46,771	3,467	15,112	3,647
वित्त वर्ष 2023-24	93,280	9,194	20,535	5,867
वित्त वर्ष 2024-25	1,55,962	13,559	23,855	7,888
वित्त वर्ष 2025-26	1,29,984	19,546	23,820	10,525